न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 100/2022

प्रार्थीगण

श्रीमती गवरी कंवर पत्नी केरसिंहजी राव, निवासी– पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही (मृतक) के कायम मुकामः–

1. श्रीमती रसालकुंवर पुत्री केरसिंहजी, जाति–राव, निवासी–पोसालिया, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
2. श्रीमती उमरावकुंवर पुत्री केरसिंहजी, जाति–राव, निवासी–पोसालिया, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही
3. श्रीमती गुलाबकुंवर पुत्री केरसिंहजी, जाति–राव, निवासी–पोसालिया, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही
4. श्रीमती पुष्पाकुंवर पुत्री केरसिंहजी, जाति–राव, निवासी–पोसालिया, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र केरसिंहजी, जाति–राव, निवासी पोसालिया, तहसील–शिवगंज

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह, जाति– राव, निवासी– रतनसागर, पोसालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही (राज.)
2. प्रवीणसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह, जाति– राव, निवासी– रतनसागर, पोसालिया, तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.)
3. ग्राम पंचायत, पोसालिया जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पोसालिया, जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थीगण (निगरानीकार) की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 जुलाई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी पक्ष (निगरानीकार) की ओर से, यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी प्रवीणसिंह, जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह, निवासी– पोसालिया के पक्ष में क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 20–12–2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) यह निगरानी आवेदन, प्रार्थीया गवरी कंवर पत्नी केरसिंह जी राव, निवासी–पोसालिया ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं दस्तावेज मय फोटोग्राफस् प्रस्तुत किये गये। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को नोटिस की तामिल होने पर निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव उपस्थित हुये व अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से जबाव प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान, प्रार्थीया गंवरी कंवर की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी संख्या 1 से 5 ने आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत इस प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु दिनांक 06–6–2025 को प्रार्थना पत्र

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

प्रस्तुत किया। जिस पर बाद सुनवाई, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—7:2025 के द्वारा प्रार्थी संख्या 1 से 5 का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 से 5 को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। तद्नुसार संशोधित अनवान शीर्षक प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 22—7—2025 को अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण (निगरानीकार) के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 20.12.2021, विधि व तथ्यों के विरूद्ध एवं मौके की स्थिति के विपरित जारी करने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण, ग्राम पोसालिया के स्थायी निवासी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस में बुआ/चाचा व भतीजे है। प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय केरसिंहजी ने अपने जीवनकाल में जो भी सम्पत्ति अर्जित की थी उसका मौखिक बंटवाड़ माह अक्टूबर 2000 में अपने पुत्रों के मध्य अपने जीवनकाल में कर दिया था। प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय केरसिंहजी की मृत्यु दिनांक 09—6—2001 को हो चुकी हैं। स्वर्गीय केरसिंहजी व प्रार्थीया के दाम्पत्य जीवन से 8 पुत्र—पुत्रीयों क्रमशः शैतानसिंह, अर्जुनसिंह, भरतराजसिंह, राजेन्द्रसिंह, रसाल कुंवर, उमराव कुंवर, गुलाब कुंवर व पुष्पा कुंवर का जन्म हुआ। केरसिंह जी राव के पुत्र शैतानसिंह की मृत्यु दिनांक 28—12—2021 एवं पुत्र भरतराजसिंह की मृत्यु दिनांक 07—05—2022 को हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2, स्वर्गीय केरसिंह जी के पुत्र स्वर्गीय शैतानसिंहजी की सन्ताने है। प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के दादा स्वर्गीय केरसिंहजी ने अपने जीवनकाल में ग्राम पोसालिया में स्थित उनकी समस्त स्वअर्जित चल व अचल सम्पत्ति का बंटवाड़ अपने सभी पुत्रों के मध्य कर दिया था जो शैतानसिंहजी के हिस्से में आये भूखण्ड पट्टा संख्या 50 शैतानसिंह पुत्र केरसिंह के नाम से व भूखण्ड़ पट्टा संख्या 8 प्रवीणसिंह, जितेन्द्रसिंह पुत्र शैतानसिंह (अप्रार्थी संख्या 1 व 2) के नाम पर है जिसमें अप्रार्थी प्रवीण सिंह, पट्टा संख्या 50 में तथा अप्रार्थी जितेन्द्रसिंह, पट्टा संख्या 8 में अपने परिवार सहित रतन सागर, पोसालिया में स्थित मकान में निवास कर रहे है एवं विभाजन में प्रार्थीगण की माता गवरी कंवर की जीविका व रहने हेतु एक भूखण्ड़ ग्राम पोसालिया में रावो का वास अनोपदासजी झुपडी रोड़ के क्षेत्र में आया हुआ है। उक्त भूखण्ड की चतुर्दशी उत्तर दिशा में भरतराजसिंह का भूखण्ड़, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में वर्तमान में रास्ता व पश्चिम में नाला है तथा नाप उत्तर—दक्षिण 42 फीट व पूर्व—पश्चिम 25 फीट कुल क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट है। उक्त नाप व चर्तुदशी का भूखण्ड़ पारिवारिक विभाजन में सभी उत्तराधिकारी की उपस्थिति व सहमति से प्रार्थीगण की माता गवरी कंवर के हिस्से में उसके बुढापे में भरण पोषण व आजिविका हेतु रखा था व उक्त भूखण्ड़ मौके पर खाली पडा था। प्रार्थीगण की माता ने अपनी आय से थोड़ी बचत कर उक्त भूखण्ड पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने से करीब 2 वर्ष पूर्व पक्की ईटो से मकान का खोका तैयार करवाया है जिस पर छत भराई बाकी हैं, उक्त भूखण्ड़ पर कभी भी मानव निवास या पुराना आवास या गृह नहीं रहा है, अभी करीब 2 वर्ष पूर्व ही प्रार्थीगण की माता गवरी कंवर ने खाली भूखण्ड़ पर निर्माण कार्य करवाया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण की माता के उक्त भूखण्ड का पट्टा अपने नाम करवाने एवं निर्माण कार्य शुरू रखने पर प्रार्थीगण की माता गवरी कंवर ने उक्त निर्माण कार्य को रूकवा दिया और ग्राम पंचायत, पोसालिया से उक्त पट्टो की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की तो पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर प्रार्थीगण की माता के कब्जे शुदा भूखण्ड का फर्जी पट्टा संख्या 6 विधि विरूद्ध तरीके से नियमों को ताक में

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

रखकर अपने नाम से वर्ष 2021 में बनवाया है। ग्राम पंचायत को प्रार्थीगण के माता गवरी कंवर के कदीम से कब्जे शुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम पर पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा मौके का भौतिक सत्यापन किये बिना ही मौके की भौतिक स्थिति के विपरित जाकर भूखण्ड पर भवन निर्मित नहीं होते हुए भी विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना प्रार्थीगण की माता के कदीम से पुश्तैनी कब्जेशुदा आपसी बंटवाड़ में हिस्से आयी हुई भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी किया है। प्रार्थीगण की माता गवरी कंवर को अप्रार्थीगण द्वारा अपने कदीम से पुश्तैनी बंटवाड़शुदा भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अवरोध पैदा करने पर प्रार्थीगण की माता गवरी कंवर ने उक्त कृत्य की शिकायत ग्राम पंचायत कार्यालय में की तब प्रार्थीगण की माता को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने चोरी चुपके वर्ष 2021 में प्रार्थीगण की माता गवरी कंवर के कब्जे व हक हिस्से की भूमि का ग्राम पंचायत, पोसालिया ने पट्टा बनाकर जारी किया है। प्रश्नगत भूखण्ड़ का पट्टा, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत पुराने गृहो के विनियमितीकरण में जारी किया है, जबकि उक्त भूखण्ड़ पर कोई पुराना गृह बना हुआ नही है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का उस पर निवास रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2, प्रश्नगत भूखण्ड से अन्यत्र रतन सागर क्षेत्र में परिवार सहित निवासरत् है तथा उनके आवासीय भूखण्ड के अलग से पट्टे बने हुए है जिनके पट्टा संख्या 50 व 8 है। प्रश्गनत पट्टा संख्या 6 में शुल्क राशि भी दर्शायी हुई नहीं है तथा न ही मिसल संख्या अंकित है। ग्राम पंचायत, पोसालिया ने प्रार्थीगण की माता व प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से पट्टा संख्या 6 जारी किया है, अवैध व शून्य है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि उक्त पट्टे को निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण, उनके माता गंवर कंवर के हक हिस्से में आयी वैध, स्वामित्व व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग व उसमें अपना हिस्सा प्राप्त करने से वंचित हो जायेगी एवं परिवार में सम्पत्ति विवाद पैदा हो जायेगा। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा कब्जे एवं भौतिक स्थिति का अवलोकन किये बिना ही प्रार्थीगण की माता की कब्जेशुदा भूमि का पट्टा जारी करने तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उसके दरवाजो पर लगे तालों को तोड़कर उस पर कब्जा करने का प्रयास करके निर्माण कार्य करने से रोकने पर प्रथम बार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अवैध पट्टे की जानकारी होने से यह निगरानी आवेदन युक्तियुक्त समयावधि में पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 20—12—2021 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि केरसिंहजी की पुश्तैनी स्वामीत्व का मकान गॉव पोसालिया में रावों की गली में आया हुआ है, जो सभी वारिसान के संयुक्त स्वामीत्व तथा कब्जे का है, उक्त मकान में प्रार्थी राजेन्द्रसिंह राव निवास कर रहा है, जिसके साथ केरसिंह जी की पत्नी गवरी कंवर भी निवास कर रही थी। स्वर्गीय गवरी कंवर पत्नी केरसिंह जी व केरसिंह जी राव, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के दादी व दादा है। वादग्रस्त पट्टा संख्या 06 तथा पट्टा संख्या 07 की सम्पत्ति, पट्टा संख्या 50 तथा पट्टा संख्या 08, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्वर्गीय शैतानसिंहजी की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसमें से पट्टा संख्या 50 में अप्रार्थी प्रवीणसिंह तथा पट्टा संख्या 08 की सम्पत्ति में अप्रार्थी जितेन्द्रसिंह अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है। पट्टा संख्या 06 तथा 07 की सम्पत्ति में पुराने निर्माण को हटाकर उसके स्थान पर पक्के मकान का ढांचा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता शैतानसिंह जी द्वारा करीब 08 वर्ष पुर्व करवाया

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गया था। उक्त सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपने पिता शैतानसिंह जी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जिसमें प्रार्थीगण और उनकी माता या केरसिहजी के अन्य वारिसान का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण की माता अपने जीवनकाल में पुश्तैनी आवास में निवास कर रही थी। वादग्रस्त पट्टा की सम्पत्ति पर प्रार्थीगण की माता गवरी कंवर या केरसिंहजी का कभी भी कब्जा स्वामित्व हक अधिकार नहीं रहा है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 6 की भूमि के मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता शैतानसिंहजी द्वारा करीब 08 वर्ष पूर्व मकान का ढांचा तैयार करवाया गया था, तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा उक्त मकान मौखिक पारिवारिक समझौता में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रदान किया। उसके बाद से अप्रार्थी संख्या 1 व 2, उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 6 की सम्पत्ति पर बतौर मालिक काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सम्पत्ति का पट्टा विधि अनुसार ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा जारी किया गया है तथा उसका पंजीयन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृती प्राप्त कर मकान की छत आर.सी.सी. की भरवाने की तैयारी करने के बाद भरतराजसिंह के पुत्र ओमकारसिंह, नेहपालसिंह तथा गीताकुंवर ने निर्माण कार्य करने में बाधा उत्पन्न की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने सिविल न्यायालय, शिवगंज में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया तथा न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में जारी की है। वादग्रस्त पट्टा की सम्पत्ति से प्रार्थीगण या उनकी माता गंवरी कंवर का कोई लेना देना नहीं है। उक्त प्रश्नगत पट्टे की सम्पत्ति पर प्रार्थीगण या उनकी माता का कभी भी कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है। उक्त सम्पत्ति केरसिंहजी राव की सम्पत्ति नहीं है बल्कि शैतानसिंहजी की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसमें उनके द्वारा 8 वर्ष पुर्व मकान का ढांचा स्वयं के खर्च से निर्मित करवाया था तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मौखिक विभाजन में दिया था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2, वादग्रस्त सम्पत्ति के मालिक तथा कब्जेदार है। ग्राम पंचायत, पोसालिया में विधि अनुसार आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए आपत्ति नोटिस जारी करके अन्दर मियाद कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर बांद जांच विधि अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उनके पिता शैतानसिंह जी राव से प्राप्त आवासीय मकान का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत नियमुनसार पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैद्यता या अनियमितता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य में प्रार्थीगण की माता गंवरी कंवर के पुत्रों व भरतराजसिंह के पुत्रों द्वारा दखल किए जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विवाद में नहीं पडने के आशय से अपनी स्वेच्छा से निर्माण कार्य रोका गया है। प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में अंकित कानिों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त सम्पत्ति केरसिंहजी की होकर प्रार्थीगण या गवरी कंवर को विभाजन में प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में विधि अनुसार पट्टा जारी होने के बाद उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में हुआ है, जिसके पंजीयन संख्या 730/2022 दिनांक 22—02—2022 है। कानुनन एक पंजीकृत दस्तावेज को निगरानी में प्रदत्त अधिकारों के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है। स्वर्गीय केरसिंहजी राव ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा का निष्पादन किया था, जिसमें अपनी समस्त सम्पत्ति को अपने पुत्रों के हक में वसीयत किया था। वादग्रस्त सम्पत्ति शैतानसिहजी की स्वअर्जित सम्पत्ति होने से उक्त वसीयतनामा में इसका कोई उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सम्पति जो उन्हें उनके पिता शैतानसिंह जी से प्राप्त हुई है को हडपने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर गंवरी कंवर से यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करवाया था। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी प्रवीण सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह, निवासी– पोसालिया को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 6 दिनांक 20–12–2021 को जारी किया गया है। संबंधित कानून, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

प्रकरण में प्रार्थीगण (निगरानीकार) ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि निगरानी आवेदन में अंकित प्रश्नगत भूखण्ड़ केरसिंह जी के मालिकी, स्वामित्व व आधिपत्य की स्वअर्जित सम्पति हो। प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि निगरानी आवेदन में अंकित नाप व चतुर्दशी का भूखण्ड़ पारिवारिक विभाजन में केरसिंह जी राव के सभी उत्तराधिकारियों की उपस्थिति व सहमति से प्रार्थीगण की माता गवरी कंवर के हिस्से में उसके बुढापे में भरण पोषण व आजिविका हेतु रखा हो। प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों समर्थन में ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड़ का पट्टा जारी करने के समय मौके पर पुराना आवासीय गृह बना हुआ नही हो। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नत भूखण्ड़ के मौके पर निर्माण कार्य किया हुआ है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में श्री केरसिंह पुत्र ओबसिंह जी, जाति– राव, निवासी– पोसालिया द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 28–4–2001 (जो उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज में दिनांक 07–5–2001 को पंजीकृत हुआ है) की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि श्री केरसिंह पुत्र ओबसिंह जी, जाति– राव, निवासी– पोसालिया द्वारा उनके पुत्रों शैतानसिंह, अर्जुनसिंह, भरतराजसिंह व राजेन्द्रसिंह पिसरान श्री केरसिंह, जाति– राव, निवासी– पोसालिया के पक्ष में उनकी सम्पति के संबंध में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है एवं इस वसीयतनामा के द्वारा श्री केरसिंह जी पुत्र ओबसिंह जी राव, निवासी– पोसालिया ने उनकी तमाम अचल सम्पति मकान, प्लोट खेत, अरठ, कुआं इत्यादि का

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हिस्सा उनके उक्त चारों पुत्रों में बराबर बराबर रुप से वसीयत किया है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, शिवगंज के न्यायालय में ओमकारसिंह पुत्र भरतसिंह जी राव व अन्य के विरुद्ध उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 6 दिनांक 20–12–2021 की भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है एवं इस वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. के तहत ओमकारसिंह पुत्र भरतसिंह जी राव, निवासी– पोसालिया व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किया तथा इस दीवानी विविधि संख्या 10/2022 में पारित आदेश दिनांक 27–9–2023 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है एवं उक्त ओमकारसिंह व अन्य को पाबन्द किया गया है कि पट्टाशुदा भूमि के उपयोग–उपभोग व निर्माण में बाधा उत्पन्न नही करे व न ही अन्य से करावे।

चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने का दायित्व प्रार्थीगण (निगरानीकार) का है, लेकिन प्रार्थीगण (निगरानीकार) निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहे है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में मुख्यतः विवाद, उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जे स्वामित्व व हक अधिकारों का है एवं सम्पति पर कब्जे स्वामित्व व हक अधिकारों को सक्षम न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।निर्णय आज दिनांक 25 जुलाई, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही* सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही